

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

20032 - पति पत्नी के बीच रोजे की हालत में हंसी-मज़ाक़ का हुक्म

प्रश्न

क्या मेरे लिए अपने पति से रोज़े की हालत में यह कहना जायज़ है कि मैं आप से प्यार करती हूँ ? मेरे पति मुझसे कहते हैं कि मैं रोज़े की हालत में उनसे कहूँ कि मैं आप से प्यार करती हूँ। मैं ने उनसे कहा कि ऐसा करना जायज़ नहीं है, जबकि उनका कहना है कि यह जायज़ है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

रोज़े की हालत में औरत के अपने पति से और मर्द के अपनी पत्नी से बातचीत द्वारा हंसी-मज़ाक़ और दिल्लगी करने में कोई हरज नहीं है इस शर्त के साथ कि वे दोनों अपने ऊपर वीर्य के पतन से निश्चित हों। यदि वे दोनों अपने ऊपर वीर्यपात से निश्चित न हों, जैसे कि कोई व्यक्ति अति कामवासना वाला हो और उसे डर हो कि यदि उसने अपनी पत्नी से हंसी-मज़ाक़ किया तो वीर्यपात होने के कारण उसका रोज़ा फ़ासिद हो जायेगा ; तो उसके लिए ऐसा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वह अपने रोज़े को खराब होने के दाव पर लगा रहा है। और यही हुक्म उस समय भी है जब उसे मज़ी (चुंबन या कामुक वार्तालाप के कारण पेशाब की नाली से निकने वाला पानी) के निकलने का भय हो। (अश शर्हुल मुम्ते 6/390)

जो व्यक्ति अपने ऊपर वीर्यपात से निश्चित हो उसके लिए चुंबन और हंसी-मज़ाक़ की वैधता का प्रमाण वह हदीस है जिसे बुखारी (हदीस संख्या : 1927) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1106) ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रोज़े की हालत में चुंबन और आलिंगन करते थे और वह अपनी वासना पर सबसे अधिक नियंत्रण रखने वाले थे।" तथा सहीह मुस्लिम (हदीस संख्या : 1108) में अम्र बिन सलमह से वर्णित है कि उन्होंने ने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया कि क्या रोज़ेदार आदमी चुंबन करेगा ? तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने - उम्मे सलमह की ओर संकेत करते हुए - फरमाया : "इनसे पूछो" तो उन्होंने ने सूचना दी कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ऐसा करते थे।"

शैख़ इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने फरमाते हैं : "चुंबन के अलावा सहवास के जो कारण हैं जैसे चिमटना और आलिंगन इत्यादि तो हम कहेंगे कि उसका हुक्म चुंबन का ही है, इनके बीच कोई अंतर नहीं है।"

इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह
अल-मुनज्जिद

"अश-शर्हुल मुम्ते" (6/434) से अंत हुआ।

इस आधार पर, आपका अपने पति से मात्र यह कहना कि आप उनसे प्यार करती हैं या उनका आपसे इसी तरह के शब्द कहने से, रोज़े को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।